

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सरगुजा में बैकचाई योजना के तहत हितग्राहियों को प्रदत्त चूजे

1. (*क्र. 1426) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में बैकचाई कुक्कुट योजना अंतर्गत किस-किस विकासखण्ड में कितने हितग्राहियों को वर्ष 2009 में चूजे प्रदाय किये गये हैं ? (ख) प्रदाय किये गये चूजे किस-किस कुक्कुट प्रक्षेत्र से उपलब्ध कराये गये ? (ग) क्या हितग्राहियों को प्रदाय किये गये चूजे रंगीन थे ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) सरगुजा जिले में बैकचाई कुक्कुट योजना अंतर्गत वर्ष 2006-07 के 1183 एवं 2007-08 के 1500 हितग्राहियों को वर्ष 2009 में चूजे प्रदाय किये गये हैं. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रदाय किये गये चूजे शासकीय कुक्कुट हैचरी बैकुण्ठपुर जिला कोरिया से उपलब्ध कराये गए, (ग) जी हां.

जिला जांजगीर-चांपा में ट्यूबवेल खनन संबंधी

2. (*क्र. 1470) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितने पावर सबमर्सिबल ट्यूबवेल पम्पों का खनन किया गया है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) कितने ट्यूबवेल/पम्प/बोर असफल हुए हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार करयप) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जल प्रदाय योजनाओं के लिये स्रोतों में सबमर्सिबल पावरपंपों की स्थापना हेतु क्रमशः 359 एवं 275 नलकूप (ट्यूबवेल) का खनन किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) प्रश्नांक "क" की अर्वाधि में खनन किये गये नलकूपों में क्रमशः 32 एवं 24 बोर असफल हुये हैं.

जिला जांजगीर-चांपा के मजदूरों को बंधक बनाकर रखने की प्राप्त शिकायतें

3. (*क्र. 1051) महन्त रामसुन्दर दास : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के कितने मजदूरों को दूसरे प्रांतों में बंधक बनाकर रखने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा के मजदूरों को छुड़ाकर लाने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के 662 मजदूरों को दूसरे प्रांतों में बंधक बनाकर रखने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ख) संबंधित जिलों के जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही करने का आग्रह किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है.

मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की स्थिति

4. (*क्र. 317) श्री दीपक कुमार पटेल : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में कितनी पेयजल योजना स्वीकृत हुई है ? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं ? (ग) अपूर्ण कार्य पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार करवप) : (क) मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में 197, वर्ष 2007-08 में 282 एवं वर्ष 2008-09 में 303 पेयजल योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं. (ख) स्वीकृत 782 कार्यों में से 761 पूर्ण और 21 अपूर्ण हैं. (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

जिला रायगढ़ में उद्योगों को केप्टीव पावर प्लांट स्थापना की दी गई अनुमति

5. (*क्र. 527) श्री हृदय राम राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में किन-किन उद्योगों को केप्टीव पावर प्लांट बनाने की अनुमति दी गयी है ? (ख) उक्त संयंत्रों में बिजली खरीदी का अनुबंध किस वर्ष में, कितने वर्षों के लिए, किस दर पर किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 44 के तहत रायगढ़ जिले की तीन इकाईयों के उद्योग में केप्टीव पावर प्लांट की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा सहमति जारी की गई है. जिनका विवरण †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. दिनांक 09-12-2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 प्रभावशील है जिसमें विद्युत उत्पादन इकाईयों एवं केप्टीव विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है. (ख) 08 केप्टीव विद्युत उत्पादन संयंत्रों से बिजली खरीदी हेतु अनुबंध का वर्ष, अनुबंध की अवधि तथा विद्युत की दर का विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

प्रदेश के मंत्री, संसदीय सचिवों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के संपत्ति का विवरण

6. (*क्र. 1457) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जो सहित छ. ग. शासन के मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों ने वर्ष 2009-2010 तक की स्थिति में अपने संपत्ति का विवरण मान. मुख्यमंत्री को दिया है ? यदि हाँ, तो समस्त लोगों के नाम सहित संपत्ति का विवरण दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि छ. ग. शासन द्वारा आई. ए. एस., आई. पी. एस. एवं आई.एफ. एस. अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण देने हेतु निर्देश दिया गया है ? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण दिया है एवं किस अधिकारी ने नहीं दिया है ? नाम बतायें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा (आवरण) नियम, 1968 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस.) के सदस्यों को प्रत्येक केलेण्डर वर्ष के सम्पत्ति पर अपने अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना होता है. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन सभी अधिकारियों को यह विवरण समय से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है. जिन अधिकारियों ने प्रस्तावित अवधि में उनकी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत कर दिया है, उनके नाम † संलग्न प्रपत्र "अ" में एवं जिन्होंने सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनके नाम † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्रदत्त राशि

7. (*क्र. 1496) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में दिनांक 10-02-2010 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? (ख) कितने शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण है और कितना अपूर्ण है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार करवप) : (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत

शौचालय निर्माण हेतु वर्षवार निम्नानुसार राशि जारी की गई है :—

वर्ष	वर्ष 2007-08 (रु. लाख)	वर्ष 2008-09 (रु. लाख)	वर्ष 2009-10 (रु. लाख)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बी.पी.एल. निजी शौचालय	23.34	33.146	12.064
2. शाला शौचालय	25.20	22.80	05.20
3. आंगनवाड़ी शौचालय	02.50	02.60	00.00
कुल राशि	51.04	58.546	17.264

(ख) उपरोक्तानुसार जारी राशि के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य को वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	पूर्ण	अपूर्ण
(1)	(2)	(3)
1. बी.पी.एल. निजी शौचालय	3829	460
2. शाला शौचालय	182	15
3. आंगनवाड़ी शौचालय	72	30

पाली तानाखार विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण

8. (*क्र. 1395) श्री रामदयाल उड़के : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पाली तानाखार में वर्ष 2008-09, 2009-10 में कुल कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा रहा है ? कुल कितने ग्रामों में बिजली नहीं है ? (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोरबा जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पाली तानाखार में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में कुल 06 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया. तीन ग्रामों में बिजली नहीं है. इनमें दो ग्राम यथा पथ एवं गाहाघाट राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित हैं. जिनके कार्य 31-03-2010 तक पूर्ण कराये जाने का प्रयास है. शेष 01 ग्राम यथा कांटाकछार वनबाधित होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पाली तानाखार विधान सभा क्षेत्र के 43 ग्रामों में सधन विद्युतीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें विकासखण्ड पाली के 23 एवं पोढ़ीउपरोड़ा के 20 ग्राम भी सम्मिलित हैं.

जिला महासमुंद में हितग्राहियों को नलकूप खनन हेतु अनुदान

9. (*क्र. 1431) श्री अग्नि चंद्राकर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला में नलकूप खनन अनुदान हेतु कितने आवेदन वर्ष मार्च 2007 से पंजीयन किये गये हैं ? (ख) कितने आवेदकों को अनुदान का भुगतान किया गया है ? कितने आवेदकों के भुगतान शेष है ? कब तक भुगतान कृषकों को किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) महासमुंद जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित सपु सिंचाई (नलकूप) योजनाअंतर्गत मार्च 2007 से दिनांक 25-02-2010 तक नलकूप खनन अनुदान हेतु 1659 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ख) प्ररनाधीन अवधि में नलकूप खनन अनुदान हेतु 1659 कृषकों एवं पम्प प्रतिस्थापन अनुदान हेतु 1247 कृषकों के देयक प्राप्त हुए हैं जिसमें से 1603 कृषकों को खनन अनुदान तथा 1191 कृषकों को पम्प प्रतिस्थापन हेतु अनुदान का भुगतान किया गया है. 56 कृषकों को खनन एवं 56 कृषकों को पम्प प्रतिस्थापन का अनुदान दिया जाता शेष है. जिनके अनुदान भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. पात्र कृषकों को नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम की जानकारी

10. (*क्र. 1478) श्री नंदकुमार घटेल : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईफेड) व भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था ? यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब से किन-किन जिलों में प्रारंभ किया गया था ? (ख) क्या उक्त परियोजना प्रदेश में वर्तमान में बंद कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां, दिनांक 18 सितम्बर 2002 से राज्य के सरगुजा, जशपुर एवं रायगढ़ जिले में, (ख) जी हां, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईफेड) के ऋण की अवधि 30 जून 2009 को समाप्त होने के कारण,

कोंटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नलकूप खनन की स्थिति

11. (*क्र. 1437) श्री लखमा कवासी : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2005 से दिसम्बर, 2009 तक दंतेवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र कोंटा में कितने जगह नलकूप खनन का कार्य किया गया ? (ख) खनन परचात् कितने सफल व कितने असफल हुए ? (ग) कितने में हैंड पंप फिटिंग किया गया और कितने में नहीं है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला दंतेवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र कोंटा में 2005 से दिसम्बर 2009 तक 934 जगह में कुल 934 नलकूपों का खनन कार्य किया गया है, (ख) खनन परचात् 842 सफल, 92 असफल हुए हैं, (ग) सभी सफल पाये गये 842 नलकूपों में से 836 हैंडपम्प तथा 06 में पावर पम्प फिटिंग किये गये हैं, सफल पाये गये नलकूपों में हैंडपम्प फिटिंग कार्य शेष नहीं है,

आरंग विधान सभा क्षेत्र में नल-जल योजनाओं के स्वीकृत तथा लंबित कार्य

12. (*क्र. 625) श्री रूद्रकुमार गुरू : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक आरंग विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने नल-जल योजनाओं को स्वीकृति दी गयी ? क्या सभी नल-जल योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं तथा चालू हालत में है ? (ख) रायपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्ड आरंग मंदिर हसीद के किन-किन ग्रामों में स्पोर्ट-सोर्स, नल-जल योजना के तहत कितनी-कितनी राशि के कार्य वर्ष 2009-2010 में स्वीकृत किये गये ? (ग) क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से लंबित है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 01 ग्राम भण्डारपुरी आवर्धन नलजल प्रदाय योजना की स्वीकृति दी गई, जो नहीं, सीधे पंपिंग से जल प्रदाय चालू है, (ख) वर्ष 2009-10 में ग्राम भण्डारपुरी आवर्धन नलजल प्रदाय योजना के तहत राशि रुपये 12.27 लाख का 01 कार्य उच्चस्तरीय टंकी निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है, (ग) जी नहीं, उच्चस्तरीय टंकी निर्माण का कार्य 35 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, उच्चस्तरीय टंकी निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 19-04-2010 को समाप्त होगी, अतः लंबित होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता,

जिला कोरबा में कृषकों को वितरित कृषि यंत्र

13. (*क्र. 500) श्री बोधराम कंवर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिले में 2008-09 व 2009-2010 में 31 दिसम्बर, 2009 तक कितने कृषकों को कौन-कौन से कृषि यंत्र, कितनी-कितनी राशि के वितरित किए गए ? विकासखण्डवार कृषकों की संख्या व राशि दी जाये,

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : कोरबा जिले में वर्ष 2008-09 में 27 कृषकों को 77 कृषि यंत्र तथा वर्ष 2009-10 में 31-12-09 तक 64 कृषकों को 106 कृषि यंत्र निम्न विवरण अनुसार वितरित किये गये हैं, वर्षवार, यंत्रवार तथा विकासखण्डवार विस्तृत विवरण

प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में † संलग्न है.

क्र.	यंत्र का नाम	वर्ष 2008-09				वर्ष 2009-10 (दिनांक 31-12-09 तक)			
		कृषक संख्या	वितरित यंत्र संख्या	यंत्र की कुल कीमत (रु.)	कुल वितरित अनुदान राशि (रु.)	कृषक संख्या	वितरित यंत्र संख्या	यंत्र की कुल कीमत (रु.)	कुल वितरित अनुदान राशि (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	रोटावेटर	27	2	183432	80000	64	0	0	0
2.	पावर रिपर		8	735470	367735		16	1495474	747737
3.	पावर टिलर		1	133160	90000		3	422920	270000
4.	ट्रेक्टर		13	5560779	525000		34	15301926	1530000
5.	कस्टीवेटर		16	228266	114133		15	239628	119814
6.	लेवेलर		16	177240	88620		15	158760	79380
7.	मोल्ड बोल्ड प्लाऊ		10	143486	71743		13	211466	105733
8.	सीडड्रिल		9	240926	120463		0	0	0
9.	केजव्हील		1	6572	3286		0	0	0
10.	ब्रह्मरामर		1	9540	4770		0	0	0
11.	डन्त हंसियां		0	0	0		10	1000	500
योग		27	77	74,18,871	14,65,750	64	106	1,78,31,174	28,53,164

बेमेतरा में अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये स्वीकृत छात्रावास

14. (*क्र. 767) श्री ताम्रध्वज साहू : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के बेमेतरा में अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं के लिये कितने छात्रावास स्वीकृत हैं ? (ख) उक्त छात्रावासों में वर्तमान में कितने छात्र/छात्राएँ रह रहे हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 02 छात्रावास स्वीकृत हैं. (ख) 28 छात्र एवं 25 छात्राएँ रह रहे हैं.

रायगढ़ जिले के छात्रावास/आश्रमों को वितरित सामग्रियाँ

15. (*क्र. 1491) डॉ. शक्राजीत नाथक : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के बरमकेला, पुरीर एवं सारंगढ़ विकासखण्ड में विभाग के कितने छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें. (ख) उक्त आश्रमों एवं छात्रावासों को वर्ष 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010 में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की सामग्रियों का वितरण किया गया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 56 छात्रावास/आश्रम संचालित हैं. विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है.

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों में प्रदत्त सुविधाएँ

16. (*क्र. 231) श्री संतोष बाफना : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ कन्या आश्रम एवं बालक छात्रावास संचालित हैं ? (ख) आश्रम/छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ? (ग) कितने आश्रम/छात्रावास शासकीय भवन में संचालित हैं ? कितने भवन विहीन हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है. (ग) 02 आश्रम एवं 09 छात्रावास शासकीय भवन में संचालित हैं. एक आश्रम एवं एक छात्रावास भवन विहोत हैं.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की मांग एवं पूर्ति

17. (*क्र. 1144) श्री परेश बागवाहारा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01-01-2009 की स्थिति में भिन्न-भिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के आधार पर कुल कितनी मात्रा में विद्युत की मांग थी पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें ? (ख) वर्ष 2009 में माहवार कितनी विद्युत की पूर्ति की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01-01-2009 की स्थिति में विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं की अनुबंध के अनुसार कुल 20230 किलो वॉट विद्युत की मांग थी. वर्गवार विद्युत की मांग † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है. (ख) वर्ष 2009 में खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में कुल 7,34,32,073 यूनिट विद्युत की आपूर्ति/खपत की गई. माहवार विद्युत आपूर्ति/खपत की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शायी गई है.

बाल श्रमिक विद्यालयों हेतु केन्द्र से प्राप्त अनुदान

18. (*क्र. 427) श्री सीरभ सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कितने बाल श्रमिक विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं ? (ख) पिछले 03 वित्तीय वर्षों से और वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र शासन से इन विद्यालयों के लिए कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राज्य में 243 बाल श्रमिक विद्यालय 7 जिलों, क्रमशः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरक, सरगुजा एवं रायगढ़ में संचालित हैं. (ख) केन्द्र शासन से पिछले 03 वित्तीय वर्षों में राशि रुपये 16,14,86,749.70 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों के लिए राशि रुपये 3,29,71,486.29 अनुदान प्राप्त हुआ है.

औद्योगिक संस्थानों के ऊपर लंबित विद्युत देयक

19. (*क्र. 541) श्री नंदकुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिनांक 30-11-2009 की स्थिति में रुपये 50 लाख से अधिक बकाया राशि वाले औद्योगिक संस्थानों की संख्या कितनी है ? (ख) प्रश्नांक "क" में सम्मिलित औद्योगिक संस्थानों के नाम पर कितनी बकाया राशि है ? (ग) दिनांक 30-11-2009 की स्थिति में बकाया राशि वाले औद्योगिक संस्थानों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिनांक 30-11-2009 की स्थिति में रुपये 50 लाख से अधिक बकाया राशि वाले औद्योगिक संस्थानों की संख्या 19 है. (ख) बकाया राशि वाले 19 औद्योगिक संस्थानों के नाम पर राशि रु. 111.66 करोड़ बकाया है. (ग) हां, शासन द्वारा बकाया राशि वाले औद्योगिक संस्थानों के ऊपर की गई कार्यवाही का विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट में बकायेदार उपभोक्ता के नामने दर्शित है.

बस्तर संभाग के छात्रावास/आश्रमों हेतु क्रय सामग्री

20. (*क्र. 360) श्री वैदूराम कश्यप : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर संभाग के सहायक आपुक्त आदिवासी विकास कार्यालयों द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में छात्रावास/आश्रम संस्थाओं हेतु किन-किन सामग्री की खरीदी कितनी मात्रा में किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कितनी राशि की, की गई है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" एवं "दो" में दर्शित है.

विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु किये गये एम.ओ.यू.

21. (*क्र. 1298) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य स्थापना के बाद से 05 जनवरी, 2010 तक राज्य में विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिये कितने एम.ओ.यू. किये गये हैं ? फर्म/कंपनी का नाम, पता, प्रस्तावित स्थल एवं क्षमता तथा प्रस्तावित निवेश बतायें. (ख) इनमें से कितने संयंत्रों ने 05 जनवरी, 2010 तक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है ? संयंत्रवार उत्पादन क्षमता एवं निवेशित राशि का विवरण दें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य स्थापना के बाद से 05 जनवरी, 2010 तक राज्य में विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए कंपनी/फर्म, छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा 71 एम.ओ.यू. किये गये हैं. फर्म/कंपनी का नाम, पता, प्रस्तावित स्थल एवं क्षमता तथा प्रस्तावित निवेश का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में है. (ख) इनमें से मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़ एवं मेसर्स लॉको अमरकंटक पावर लिमिटेड, हैदराबाद ने 05 जनवरी, 2010 तक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है. संयंत्रवार उत्पादन क्षमता एवं निवेशित राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में है.

जिला सरगुजा में बैकयाई योजना में अनियमितता की प्राप्त शिकायतें

22. (*क्र. 946) श्री रविशंकर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में 21 फरवरी, 2010 तक कितने बैकयाई पोल्ट्री का वितरण सरगुजा जिले में किया गया है ? (ख) उपरोक्त वर्ष में किस-किस संस्था के द्वारा बैकयाई सप्लाय किया गया है ? (ग) उपरोक्त वर्ष में क्या बैकयाई में वितरित पक्षी को रंग कर वितरण करने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) सरगुजा जिले में वर्ष 2008-09 में 1497 तथा वर्ष 2009-10 में दिनांक 21 फरवरी 2010 तक 2551 बैकयाई पोल्ट्री इकाई का वितरण किया गया है. (ख) उपरोक्त वर्षों में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा बैकयाई पोल्ट्री इकाई सप्लाय किया गया है :-

1. शासकीय कुक्कुट हेचरी बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया.
2. शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बिलासपुर, जिला-बिलासपुर.
3. शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र सकालो, जिला-सरगुजा.

(ग) बैकयाई कुक्कुट इकाई में वितरित पक्षी को रंग कर वितरण करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु दैनिक समाचार पत्र नवभारत के अंक दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था. परीक्षण पर पक्षी को रंग कर वितरण करने का प्रकाशित समाचार सही नहीं पाया गया.

जिला जांजगीर-चांपा में एकल बत्ती कनेक्शन के लंबित आवेदनों का निराकरण

23. (*क्र. 1471) श्री नारायण चंदेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत दिनांक 15-01-2010 की स्थिति में कितने एकल बत्ती कनेक्शन विद्यमान हैं तथा कितने लंबित हैं ? वितरण केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) लंबित आवेदक को कब तक कनेक्शन प्रदान किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत दिनांक 15-01-2010 की स्थिति में कुल 98489 एकल बत्ती कनेक्शन विद्यमान है तथा 1370 आवेदन लंबित हैं. वितरण केन्द्रवार विद्यमान व लंबित एकलबत्ती कनेक्शनों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है. (ख) लंबित 1370 आवेदन की संसाधनों की उपलब्धतानुसार मार्च 2010 तक कनेक्शन देने का लक्ष्य है.

जिला जांजगीर-चांपा में बोर खनन एवं पंप स्थापना हेतु अनुदान

24. (*क्र. 1343) महन्त रामसुन्दर दास : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक कृषि विभाग द्वारा किन-किन विकासखण्डों में कितने-कितने बोर खनन एवं पंप की स्थापना

की गयी है ? (ख) उक्त खोर खनन एवं पंप स्थापना हेतु हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि अनुदान में दी गयी है ? कितने खोर सफल रहे एवं कितने असफल ? असफल खोर में कितना अनुदान दिया गया ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कृषि विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई (नलकूप) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 (दिनांक 25-02-2010) तक जिला जांबगीर-चांपा में 1292 कूपकों द्वारा नलकूप (खोर) खनन एवं 1212 कूपकों द्वारा पंप स्थापित कराया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 22 कूपकों द्वारा शैलो ट्यूबवेल खनन एवं पंप स्थापित कराया गया है। विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र "अ" एवं "ब" में † संलग्न है। (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में लघु सिंचाई (नलकूप) योजनांतर्गत कुल 1212 हितग्राहियों को राशि रु. 1,13,53,800 (एक करोड़ तेरह लाख तिरपन हजार आठ सौ मात्र) खनन अनुदान एवं 1132 हितग्राहियों को राशि रु. 1,56,40,000 (एक करोड़ छप्पन लाख चालीस हजार मात्र) पंप अनुदान दिया गया। 1212 नलकूप सफल एवं 80 नलकूप असफल रहे। 80 असफल नलकूप के लिये राशि रु. 5,75,800 (पांच लाख पचहतर हजार आठ सौ मात्र) अनुदान दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत कुल 22 शैलो ट्यूबवेल खनित हुये जो सभी सफल रहे। जिसमें से 19 हितग्राहियों को राशि रु. 95,000 (पचास हजार मात्र) खनन अनुदान एवं राशि रु. 2,58,408 (दो लाख अट्ठावन हजार चार सौ आठ मात्र) पंप अनुदान दिया गया। वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र "स" एवं "द" में † संलग्न है।

जिला रायगढ़ में स्पंज आयरन संयंत्रों को आवंटित लीह अयस्क की खदानें

25. (क्र. 579) **श्री हृदय राम राठिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में दिनांक 31-12-2009 की स्थिति में कितने स्पंज आयरन संयंत्र व ब्लास्ट फर्नेस लगे हैं ? उनको वर्तमान में उत्पादन क्षमता कितनी है ? (ख) उपरोक्त उद्योगों में लगने वाले लीह अयस्क हेतु इन उद्योगों को कितनी खदानें कहां-कहां आवंटित की गयी हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रामन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में दिनांक 31-12-2009 की स्थिति में 23 स्पंज आयरन संयंत्र, 01 ब्लास्ट फर्नेस लगे हैं, जिनमें स्पंज आयरन की उत्पादन क्षमता 31,36,500 मे. टन एवं ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादन क्षमता 17,50,000 मे. टन है। जिसकी पूर्ण जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। (ख) जिला रायगढ़ में स्पंज संयंत्र के उद्योगों को आवंटित लीह अयस्क खनिज रिपॉजिटों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1426) के भाग (क) की जानकारी]

सरगुजा जिले में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बैट-याई कुक्कुट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हितग्राहियों को जिले के विभिन्न विकासखण्डों में निम्नानुसार हितग्राहियों को वर्ष 2009 में सूजे प्रदाय किये गये.

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	वर्ष 2006-07 (3)	वर्ष 2007-08 (4)
1.	अम्बिकापुर	79 हितग्राही	78 हितग्राही
2.	लखनपुर	63 हितग्राही	78 हितग्राही
3.	बतौली	89 हितग्राही	78 हितग्राही
4.	सीतापुर	92 हितग्राही	78 हितग्राही
5.	मैनपाठ	89 हितग्राही	78 हितग्राही
6.	लुण्डा	89 हितग्राही	78 हितग्राही
7.	राजपुर	59 हितग्राही	78 हितग्राही
8.	शंकरगढ़	89 हितग्राही	78 हितग्राही
9.	कुसर्मा	89 हितग्राही	78 हितग्राही
10.	बलरामपुर	89 हितग्राही	87 हितग्राही
11.	रामानुजगंज	89 हितग्राही	78 हितग्राही
12.	वाडूफनगर	89 हितग्राही	78 हितग्राही
13.	प्रेमनगर	89 हितग्राही	78 हितग्राही
14.	प्रतापपुर	89 हितग्राही	78 हितग्राही
15.	सूरजपुर	-	78 हितग्राही
16.	भैवाशान	-	87 हितग्राही
17.	रामानुजनगर	-	78 हितग्राही
18.	ओड़गी	-	78 हितग्राही
19.	उदयपुर	-	78 हितग्राही
योग		1183	1500

परिशिष्ट "दो "

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 1470) के भाग (क) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सबमर्सिबल पावर पंप स्थापना हेतु नलकूप (ट्यूबवेल) खनन की विकासखण्डवार जानकारी

वर्ष	क्र.	विकासखण्ड	खनित नलकूप (ट्यूबवेल) की संख्या	असफल नलकूप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	1.	नवागढ़	57	10
	2.	बम्हनीडीह	61	8
	3.	अकलतरा	21	4
	4.	बलौदा	11	1
	5.	पानगढ़	8	0
	6.	सक्ती	36	1
	7.	जैजैपुर	63	3
	8.	डभरा	42	1
	9.	मालखरीदा	60	4
		योग	359	32
2009-10	1.	नवागढ़	88	3
	2.	बम्हनीडीह	48	8
	3.	अकलतरा	28	2
	4.	बलौदा	2	0
	5.	पानगढ़	22	1
	6.	सक्ती	4	0
	7.	जैजैपुर	42	3
	8.	डभरा	29	2
	9.	मालखरीदा	12	5
		योग	275	24

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 317) के भाग (ग) की जानकारी]

अपूर्ण योजनाएं/कार्य पूरा नहीं होने के कारण

क्र.	स्वीकृति वर्ष	योजना का प्रकार	विकासखण्ड	योजना का नाम	योजना/कार्य पूर्ण न होने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2006-07	शहरी जल प्रदाय योजना	खडगवां	चिरमिरी	विद्युत सब स्टेशन के सुदृढीकरण का कार्य शेष.
2.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	मनेन्द्रगढ़	धुटरा	पंपिंग मेन का टंकी जोड़ने का कार्य, दो नग पंप हाउस निर्माण, विद्युत कनेक्शन शेष एवं टंकी का 10% कार्य शेष.
3.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	मनेन्द्रगढ़	नागपुर	दो नग पंप हाउस निर्माण का कार्य एवं स्टेण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य शेष एवं टंकी का 10% कार्य शेष.
4.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	खंडगवां	दुपछेला	पंप हाउस निर्माण का कार्य एवं स्टेण्ड पोस्ट का निर्माण कार्य एवं पुरानी जल योजना से कनेक्शन कार्य शेष एवं टंकी का कार्य 10% शेष.
5.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	खंडगवां	ठगगांव	पंप स्थापना का कार्य, विद्युत कनेक्शन शेष एवं टंकी का कार्य 10% शेष.
6.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	खंडगवां	कटपोना	पंप हाउस निर्माण का कार्य शेष एवं टंकी का कार्य 30% शेष.
7.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	बहरासी	पंप हाउस, विद्युत कनेक्शन कार्य शेष एवं पंपिंग मेन एवं वितरण प्रणाली 10% तथा टंकी निर्माण कार्य 50% शेष.
8.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	भगवानपुर	पंप हाउस, टंकी निर्माण, विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष एवं पंपिंग मेन एवं वितरण प्रणाली 05% शेष.
9.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	कुंवारपुर	पंप हाउस, विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष एवं पंपिंग मेन, वितरण प्रणाली 05% तथा टंकी निर्माण कार्य 10% शेष.
10.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	सिंगरोली	पंप हाउस, विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष एवं पंपिंग मेन एवं वितरण प्रणाली 05% शेष.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	माढ़ीसरई	पंप हाउस, विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष एवं पंपिंग मेन, वितरण प्रणाली 20% तथा टंकी निर्माण कार्य 20% शेष.
12.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	रामगढ़	पंप हाउस, विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष एवं पंपिंग मेन, वितरण प्रणाली 05% तथा टंकी निर्माण कार्य 10% शेष.
13.	2007-08	ग्रामीण नल जल योजना	जनकपुर	कंठिया	पंप हाउस, विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष एवं पंपिंग मेन, वितरण प्रणाली 05% शेष.
14.	2007-08	स्थल जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	सरोला	पंप स्थापना, 10,000 लीटर जल क्षमता 4 मीटर ऊंचाई की आर. सी. सी. टंकी का निर्माण, केटल टूफ निर्माण महिला स्नानागार निर्माण शेष.
15.	2007-08	स्थल जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	बंधी	पंप स्थापना, 10,000 लीटर जल क्षमता 4 मीटर ऊंचाई की आर. सी. सी. टंकी का निर्माण, केटल टूफ निर्माण महिला स्नानागार निर्माण शेष.
16.	2007-08	स्थल जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	चिरई पानी	पंप स्थापना, 10,000 लीटर जल क्षमता 4 मीटर ऊंचाई की आर. सी. सी. टंकी का निर्माण, केटल टूफ निर्माण महिला स्नानागार निर्माण शेष.
17.	2007-08	स्थल जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	सेंधा	पंप स्थापना, 10,000 लीटर जल क्षमता 4 मीटर ऊंचाई की आर. सी. सी. टंकी का निर्माण, केटल टूफ निर्माण महिला स्नानागार निर्माण शेष.
18.	2007-08	स्थल जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	मोरगा	पंप स्थापना, 10,000 लीटर जल क्षमता 4 मीटर ऊंचाई की आर. सी. सी. टंकी का निर्माण, केटल टूफ निर्माण महिला स्नानागार निर्माण शेष.
19.	2007-08	शहरीय जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	एनीकट निर्माण, इन्टेक वेल निर्माण, रॉ वाटर व्ही. टी. पंप स्थापना, विद्युत सब स्टेशन निर्माण, स्टाफ क्वार्टर निर्माण शेष एवं रॉ वाटर पंपिंग मेन 50%, ट्रीटमेंट प्लांट 50%, उच्च स्तरीय टंकी निर्माण 85%, रायजिंग मेन 20% एवं जल वितरण प्रणाली 50% कार्य शेष.
20.	2007-08	शहरीय जल प्रदाय योजना	मनेन्द्रगढ़	झगराखांड	इन्टेक वेल निर्माण, रॉ वाटर व्ही. टी. पंप स्थापना, विद्युत सब स्टेशन निर्माण, स्टाफ क्वार्टर निर्माण, वल्लियर वाटर पंपिंग मेन का कार्य शेष एवं जल वितरण प्रणाली 95% कार्य शेष.
21.	2008-09	ग्रामीण नल जल	छड़गांवा	उधनापुर	वर्ष 2008-09 में विकासखण्ड छड़गांवा के ग्राम उधनापुर की स्वीकृति योजना को वर्ष 2009-10 में पूर्ण किया जाना है. योजना में कार्य प्रगतिरत है.

परिशिष्ट "चार "

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 527) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ "

जिला रायगढ़ में केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु उद्योगों को दी गई सहमति का विवरण

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	उत्पादन की क्षमता (3)	जारी सहमति का संदर्भ (4)
1.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड (पूर्व में इण्ड एण्ड सिनर्जी), रायगढ़.	1x8 मे. वा.	02-02/एसई-1/12/70-0/1/776 दिनांक 01-07-2003.
2.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	(1) 1x3.5 मे. वा. (2) 1x3.5 मे. वा. (3) 1x8 मे. वा. (4) 2x20.85 मे. वा. (5) 2x12 मे. वा. (6) 1x25 मे. वा. (7) 1x25 मे. वा. (8) 2x55 मे. वा. (9) 1x24 मे. वा.	4421 दिनांक 25-07-1992 4814 दिनांक 02-11-1992 586 दिनांक 06-02-1995 263 दिनांक 12-01-1996 263 दिनांक 12-01-1996 4945 दिनांक 25-10-1997 4502 दिनांक 23-10-1998 1417 दिनांक 17-04-1999 508 दिनांक 31-05-2003
3.	मेसर्स नलवा स्पंज आयरन लिमिटेड लटाईमल, रायगढ़.	2x8 मे. वा.	2375 दिनांक 12-12-2003

प्रपत्र "ब"

बिजली खरीदी का वर्षवार अनुबंध एवं दर

क्रमांक	केपिब विद्युत उत्पादन संयंत्र का नाम	अनुबंध की तिथि	अनुबंध की अवधि	क्रय हेतु अनुबंधित विद्युत की मात्रा (मेगावाट में)	विद्युत क्रय की दर (₹. प्रति यूनिट)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मे. बिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़.	15-07-99	06-09-98 से 01-12-08	30	₹. 2.32 प्रति यूनिट
		01-08-02	25-10-2001 से 24-10-2011	70	₹. 2.30 प्रति यूनिट (मूल दर है, जो कि कोल रॉयल्टी एवं विकास उपकर, पर्यावरण
		30-03-09	09-03-09 से 24-10-2011	50 (70 के अतिरिक्त)	उपकर आदि के आधार पर परिवर्तनीय है.)
2.	मे. अंजनी स्टील्स लिमिटेड, रायगढ़.	26-08-08	14-08-08 से 31-12-08	5	₹. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		23-12-08	01-01-09 से 31-03-09	5	
		29-09-09	1-04-09 से 30-09-09	5	₹. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर. छ. रा. विद्युत
		24-12-09	01-10-09 से 31-12-09	5	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर
		27-01-10	01-01-10 से 31-03-10	5	का 5 प्र. श. इन्सेंटिव देय होगा.
3.	मे. नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा. लिमि. रायगढ़.	12-07-06	16-06-06 से 15-06-07	2	₹. 2.32 प्रति यूनिट 70 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		02-01-08	15-06-07 से 31-12-07	2	₹. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		28-06-08	31-12-07 से 31-03-08	2	
		28-06-08	31-03-08 से 31-03-09	2	
		12-01-10	01-04-09 से 30-09-09	2	₹. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर. छ. रा. विद्युत
		12-01-10	01-10-09 से 30-12-09	2	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर
		17-02-10	01-01-10 से 31-03-10	2	का 5 प्र. श. इन्सेंटिव देय होगा.
4.	मे. एम. एस. पी. स्टील पावर लिमि. रायगढ़.	21-11-06	30-12-05 से 30-12-06	5	₹. 2.32 प्रति यूनिट 70 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		16-11-07	30-12-06 से 15-01-07	1	
		16-11-07	15-01-07 से 31-12-07	1	₹. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		11-04-08	31-12-07 से 31-03-08	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		25-06-08	31-03-08 से 31-03-09	1	
		29-09-09	01-04-09 से 30-09-09	1	रु. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर, छ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर का 5 प्र. श. इन्फ्लैटन देय होगा.
		31-12-09	01-10-09 से 31-10-09	1	
		18-01-10	01-11-09 से 31-12-09	6 (केवल पीक अवधि में)	
		27-01-10	01-01-10 से 28-02-10	6 (केवल पीक अवधि में)	
5.	मे. सिंगल इण्टरप्र्राईजेस लिमि. रायगढ़.	03-07-06	05-06-06 से 02-06-07	2	रु. 2.32 प्रति यूनिट 70 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		29-10-07	02-06-07 से 31-07-07	2	रु. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		29-10-07	31-07-07 से 31-12-07	8	
		16-05-08	31-12-07 से 31-03-08	8	
		16-05-08	31-03-08 से 31-08-08	4	
		15-10-08	31-08-08 से 31-12-08	5	
		24-12-08	31-10-08 से 31-12-08	3 (5 के अतिरिक्त)	
		31-03-09	01-01-09 से 31-03-09	8	
		17-09-09	01-04-09 से 30-09-09	7	रु. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर, छ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर का 5 प्र. श. इन्फ्लैटन देय होगा.
		31-12-09	01-10-09 से 31-12-09	7	
		02-02-10	01-01-10 से 31-03-10	7	
6.	मे. इण्ड एण्डो सिनर्जी लिमि. रायगढ़.	19-10-04	15-12-04 से 14-12-05	3 (इन्कर्म पावर)	रु. 1.00 प्रति यूनिट
		30-06-06	30-06-06 से 31-10-06	1	रु. 2.32 प्रति यूनिट 70 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
			1-11-06 से 30-06-07	4	
		29-09-07	30-06-07 से 31-12-07	4	रु. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
		04-12-07	22-11-07 से 31-12-07	2 (4 के अतिरिक्त)	
		29-03-08	31-12-07 से 31-03-08	6	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16-05-08	31-03-08 से	6	
			31-12-08		
		31-12-08	01-01-09 से	6	
			31-03-09		
		17-09-09	01-04-09 से	6	रु. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर. छ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर का 5 प्र. श. इन्सोर्टिबल देय होगा.
			30-04-09		
			01-05-09 से	7	
			31-07-09		
			01-08-09 से	4	
			31-08-09		
		18-01-10	01-09-09 से	5	
			31-12-09		
7.	मे. सालासर स्पंज आयरन एण्ड पीवर लिमिटेड, रायगढ़	30-08-06	08-08-06 से	2	रु. 2.32 प्रति यूनिट 70 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
			30-08-06		
			31-08-06 से	10 (2 के अतिरिक्त)	
			15-12-06		
			15-12-06 से	1 (12 के अतिरिक्त)	
			07-02-07		
		07-04-07	08-02-07 से	13	रु. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर.
			30-03-07		
		07-04-07	30-03-07 से	13	
			30-09-07		
		15-11-07	30-09-07 से	13	
			31-12-07		
		28-06-08	31-12-07 से	13	
			31-03-08		
		28-06-08	31-03-08 से	13	
			31-03-09		
		08-01-10	01-04-09 से	13	रु. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर. छ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर का 5 प्र. श. इन्सोर्टिबल देय होगा.
			30-09-09		
		08-01-10	01-10-09 से	12	
			03-12-09		
		06-02-10	04-12-09 से	13 (केवल पीक अवधि)	
			31-12-09		
		06-02-10	01-01-10 से	13 (केवल पीक अवधि)	
			31-01-10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड.	31-03-08	10-05-2008 से 30-06-08	19	रु. 2.80 प्रति यूनिट 85 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर .
		17-09-09	01-07-08 से 31-07-08	60 (केवल पीक अवधि)	
			01-08-08 से 31-03-09	70 (केवल पीक अवधि)	
		01-01-10	01-04-09 से 16-07-09	80(केवल पीक अवधि)	रु. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर. उ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर का 5 प्र. श. इन्सेंटिव देय होगा.
		01-01-10	17-07-09 से 30-09-09	80(केवल पीक अवधि)	रु. 2.95 प्रति यूनिट 80 प्र. श. या उससे अधिक लोड फैक्टर पर. उ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पीक अवधि (18:00 से 23:00 बजे) में दर का 5 प्र. श. इन्सेंटिव देय होगा.
		01-01-10	01-10-09 से 31-12-09	80(केवल पीक अवधि)	
	17-02-10	01-01-10 से 31-03-10	80(केवल पीक अवधि)		

परिशिष्ट "पांच "

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1457) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ "

वर्ष 2009 की स्थिति में वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने वाले आई. ए. एस./आई. पी. एस./आई. एफ. एस. के नाम निम्नानुसार हैं :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)
आई. ए. एस.		आई. ए. एस.		आई. ए. एस.	
1.	श्री पी. जॉय उम्मेन	37.	श्री एम. एस. परस्ते	73.	श्री आर. एस. ठाकुर
2.	श्री नारायण सिंह	38.	श्री सुरेन्द्र कुमार ज्ञायसवाल	74.	डॉ. बी. एस. अनन्त
3.	श्री एस. मित्र	39.	सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो	75.	श्री टी. राधाकृष्णन
4.	श्री सुनील कुमार	40.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	76.	श्री विवेक ढोंड
5.	श्री एस. व्ही. प्रभात	41.	श्री एन. एस. मण्डाजी	77.	श्री डी. एस. मिश्रा
6.	श्री आर. सी. सिन्हा	42.	श्री डी. डी. सिंह	78.	श्री सी. के. खेतान
7.	श्री अजय सिंह	43.	श्री एस. एल. रात्रे	79.	श्रीमती रेणु श्री. फिल्ले
8.	श्री एन. के. असवाल	44.	श्री एस. आर. ब्राह्मणे	80.	श्री सुबोध कुमार सिंह
9.	श्री एम. के. राउत	45.	श्री टी. सी. महावर	81.	श्रीमती निहारिका बारिक
10.	श्री पी. सी. दलेई	46.	श्री जे. मित्र	82.	श्री जेविधर तिग्गा
11.	श्री एन. वैजेन्द्र कुमार	47.	श्री रामसिंह ठाकुर	83.	श्री एस. पी. शोरी
12.	डॉ. आलोक शुक्ला	48.	सुश्री शहला निगार	84.	श्री राजपालसिंह त्यागी
13.	श्री एस. के. कुन्दूर	49.	डॉ. रोहित यादव	85.	श्री अमित कटारिया
14.	श्री आर. पी. मण्डल	50.	डॉ. कमलज्योति सिंह	86.	श्री यशवंत कुमार
15.	श्री बी. एल. अग्रवाल	51.	श्री आलोक अवस्थी	87.	श्री भीम सिंह
16.	श्री जवाहर श्रीवास्तव	52.	श्री अविनाश चम्पवार	88.	श्री नीरज बंसोड़
17.	श्री अमिताभ जैन	53.	श्रीमती जनु रैन	89.	श्री गौरव द्विवेदी
18.	श्री आर. पी. जैन	54.	सुश्री रीना कंगाले	90.	श्री प्रसन्ना आर.
19.	श्री एस. एम. पैकरा	55.	श्री अनवल्लभ पी.		
20.	श्री अवध बिहारी	56.	सुश्री संगीता पी.	आई. पी. एस.	
21.	श्री एम. आर. ठाकुर	57.	श्री मुकेश कुमार	1.	श्री विश्वरंजन
22.	डॉ. दुर्गेशचन्द्र मिश्रा	58.	सुश्री आर. संगीता	2.	श्री राजीव माधुर
23.	श्री आर. एस. विश्वकर्मा	59.	श्री रजत कुमार	3.	श्री अनिल एम. नवानी
24.	श्री डी. के. श्रीवास्तव	60.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	4.	श्री एस. के. पासवान
25.	श्री एस. के. बेहार	61.	श्री एस. प्रकाश	5.	श्री रामनिवास
26.	श्री अमित अग्रवाल	62.	श्री अंकित आनन्द	6.	श्री गिरिधारी नायक
27.	श्री मनोहर पाण्डे	63.	श्री एलेक्स पाल मेनन	7.	श्री मोहम्मद बजीर अंसारी
28.	श्रीमती ज्ञाचा शर्मा	64.	श्री भुवनेश यादव	8.	श्री ए. एन. उपाध्याय
29.	श्रीमती निधि छिन्नर	65.	श्री एस. भारती दामन	9.	श्री डी. एम. अवस्थी
30.	श्री विकास शील	66.	श्री राजेश सिंह राणा	10.	श्री स्वगत दास
31.	श्री एम. के. पिंगुआ	67.	श्री निखिल गजराज	11.	श्री वाच. के. एस. ठाकुर
32.	डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी	68.	श्री ब्रजेशचन्द्र मिश्रा	12.	श्री आर. सी. श्रीवास्तव
33.	डॉ. बी. एल. तिवारी	69.	श्री पि. रमेश कुमार	13.	श्री ए. के. तिवारी
34.	श्री एम. के. त्यागी	70.	श्री मन्द कुमार	14.	श्री संजय फिल्ले
35.	श्री जी. एस. धनजय	71.	श्री विश्वेन्द्र	15.	श्री आर. के. बिज
36.	श्री सोनमणि वीरा	72.	श्री एन. के. छाखा	16.	श्री मुकेश गुप्ता

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)
आई. पी. एस.		आई. एफ. एस.	
17.	श्री राजेश मिश्रा	3.	श्री अजय कुमार सिंह
18.	श्री आर. सी. शर्मा	4.	श्री मोन्द्र के. भगत
19.	श्री आर. सी. पटेल	5.	श्री राम प्रकाश
20.	श्री बी. एस. मरावी	6.	डॉ. अरविन्द बोआज
21.	श्री टी. जे. लॉकमुयेर	7.	श्री व्ही. एस. सिल्लेकर
22.	श्री पी. एन. तिवारी	8.	श्री अनुप भल्ला
23.	डॉ. एम. एस. तोमर	9.	श्री बी. एन. द्विवेदी
24.	श्री भारत सिंह	10.	श्री आर. सी. रैगर
25.	श्री एम. पी. चौधरी	11.	डॉ. जितेन्द्र के. उपाध्याय
26.	श्री जी. पी. सिंह	12.	श्री नवीन चन्द पंत
27.	श्री हिमांशु गुप्ता	13.	श्री प्रदीप कुमार पंत
28.	श्री एस. आर. पी. कल्लूरी	14.	श्री आर. के. टमटा
29.	श्री आर. के. भेटिया	15.	श्री प्रताप सिंह
30.	श्री दीपांशु विजय काबरा	16.	श्री के. सुब्रामणियम
31.	श्री अमित कुमार	17.	श्री कृष्ण चन्द्र
32.	श्री एस. के. झा	18.	श्री लब्धा राम दोहो
33.	श्री पी. एस. ठाकुर	19.	श्री कौशलेन्द्र सिंह
34.	श्री एच. के. राठीर	20.	श्री अतुल कुमार शुक्ला
35.	श्री एन. के. एस. ठाकुर	21.	श्री आर. के. गोकर्षन
36.	श्री जे. के. खोरात	22.	श्री आर. बी. पी. सिन्हा
37.	श्री डॉ. डॉ. चतुर्वेदी	23.	श्रीमति शोभा सुब्रामणियम
38.	श्री पी. एस. गौतम	24.	श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव
39.	डॉ. आनंद छाबड़ा	25.	श्री देवेन्द्र सिंह
40.	श्री राहुल शर्मा	26.	श्री आशीष कुमार भट्ट
41.	श्री ओ. पी. पॉल	27.	श्री युनुस अली
42.	श्री सुंदरराज पी.	28.	श्री व्ही. रामाराव
43.	श्री रतनलाल	29.	श्री व्ही. श्रीनिवास राव
44.	श्री अभिषेक पाठक	30.	श्री मोरिस हुशार नन्दी
45.	श्री अजय कुमार यादव	31.	श्री कौशलेन्द्र कुमार
46.	श्री अयिनाश मोहंती	32.	श्री आलोक कटिया
47.	श्री अमरेश कुमार मिश्रा	33.	श्री सुनील कुमार मिश्रा
48.	श्री राहुल भगत	34.	श्री अनुप कुमार विश्वास
49.	श्री शेख आरिफ हुसेन	35.	श्री ओम प्रकाश यादव
50.	श्री माईधुगो हुंगोई	36.	श्री अमरनाथ प्रसाद
51.	श्री मयंक श्रीवास्तव	37.	श्री ओ. पी. यादव
52.	श्री राजेन्द्र नारायण दास	38.	श्री एस. एस. डॉ. बड़गैया
53.	श्री राम गोपाल	39.	श्री सी. एल. अग्रवाल
54.	श्री जितेंद्र सिंग मीणा	40.	श्री जे. पी. चन्द्राकर
		41.	श्री रघुवेन्द्र कुमार तिवारी
		42.	श्री शालिनी रैना
		43.	श्री नवीन सुजाउद्दीन
आई. एफ. एस.			
1.	श्री आर. के. शर्मा		
2.	श्री धीरेन्द्र शर्मा		

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2009 की स्थिति में वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत न करने वाले आई. ए. एस./आई. पी. एस./आई. एफ. एस. के नाम निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)
आई. ए. एस.		आई. एफ. एस.		आई. एफ. एस.	
1.	श्री अजयपाल सिंह	1.	श्री बी. एल. सरन	43.	श्री एच. के. पाण्डेय
2.	श्री बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम	2.	श्री दिवाकर मिश्रा	44.	श्री ए. के. तिवारी
3.	श्री सुब्रत साहू	3.	श्री बी. के. सिन्हा	45.	श्री व्ही. एस. लकड़ा
4.	श्री जी. एस. मिश्रा	4.	श्री एस. सी. अग्रवाल	46.	श्री जे. एस. कैलासिया
5.	श्री के. आर. पिन्दा	5.	डॉ. आर. के. सिंह	47.	श्री व्ही. एस. धुब
6.	श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी	6.	श्री के. सी. बेकर्ता	48.	श्री के. के. बितेन
7.	श्री पी. दयानन्द	7.	श्री मुदित कुमार सिंह	49.	श्री सी. एस. तिवारी
8.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	8.	श्री अरुण कुमार द्विवेदी	50.	श्री सुकरात लाल साव
9.	श्री बसवाराजू एस.	9.	श्री टी. गुणासेखरन	51.	श्री एच. एल. राजो
10.	श्री हिमशिखर गुप्ता	10.	श्री राकेश चतुर्वेदी	52.	श्री जे. के. कटकवार
11.	श्री के. डी. पी. राव	11.	श्री पून चन्द्र मिश्रा	53.	श्री पी. के. केशर
12.	श्री के. श्रीनिवासुलू	12.	श्री एच. सी. तिवारी	54.	श्री देवशीष बेनर्जी
13.	श्री संजय गर्ग	13.	श्री बी. पी. नोन्हाते	55.	श्री आशुतोष मिश्रा
14.	श्री एल. एस. केन	14.	श्री राजेन्द्र कुमार डे	56.	श्री एम. गोविन्द राव
15.	सुश्री अल्लमेलमंगई डी.	15.	श्री कन्हाई चरण किन्कू	57.	श्री एस. जगदीशान
16.	श्री ओमप्रकाश चौधरी	16.	डा. बितेन कुमार	58.	श्री एस. वैकेटाफलम
17.	सुश्री श्रुति सिंह	17.	श्री संजय शुक्ला	59.	श्री राजेश एस. कल्लाजे
18.	श्री के. सी. देवसेनापति	18.	श्री पी. व्ही. नरसिंह राव	60.	श्री ए. बी. मिंज
19.	मो. कैसर अब्दुल हक	19.	श्री एस. सी. रहटगांवकर	61.	श्री महेन्द्र कुमार सिंह
20.	सुश्री शम्मी आविदी	20.	श्री पी. सी. पाण्डेय	62.	श्री सुरेश के. पैकरा
21.	सुश्री शिखा राजपूत	21.	श्री देवशीष दास	63.	श्री राजेश नान्होरिया
आई. पी. एस.		22.	श्री जे. ए. सी. एस. राव	64.	श्री ए. के. वाहने
1.	श्री पवन देव	23.	श्रीमति बी. व्ही. उमा देवी	65.	श्री विवेक आचार्या
2.	श्री आर. के. देवांगन	24.	श्री के. मुरगन	66.	श्री राजू अगासिमनी
3.	श्री ए. डी. गौतम	25.	श्री शैलेन्द्र के. सिंह	67.	श्री माधेश्वरन व्ही.
4.	श्री विवेकानंद	26.	श्री एस. एस. बजाज	68.	श्री अरुण प्रसाद पी.
5.	श्री बी. पी. एस. पौषार्य	27.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल	69.	श्री केनियल हाउतोल्ली मैथियो
6.	श्री पी. एस. बारा	28.	श्री जब सिंह महरके	70.	श्री कृष्णकुमार खेलवार
7.	श्रीमती नेहा चम्पावत	29.	श्री टी. के. झा	71.	श्री एन. के. पाण्डेय
8.	श्री अंकित कुमार गर्ग	30.	श्री संजय कुमार ओझा	72.	श्री अनिल सोनी
9.	श्री बट्टीनारायण मीणा	31.	श्री अनिल कुमार राय	73.	श्री सत्यप्रकाश मसीह
10.	श्री धुब गुप्ता	32.	श्री अनिल कुमार साहू	74.	श्री विश्वेश कुमार
11.	श्री दीपक कुमार झा	33.	श्रीमती अनिता नन्दी	75.	श्री एम. मर्सी बेला
12.	श्री अभिषेक शाण्डिल्य	34.	श्री बी. आनन्द बाबू	76.	श्री मोहम्मद शाहिद
13.	श्री प्रवीण महेन्द्रु	35.	श्री व्ही. शेर्टेय पनाबर	77.	श्री राजेश के. पांडेय
14.	श्री विनय कुमार सिंह	36.	श्री आई. एन. सिंह	78.	श्री जनक राम नायक
15.	श्री रवि सिन्हा	37.	श्री अरुण कुमार पाण्डेय	79.	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव
16.	श्री अशोक जुनेजा	38.	श्री प्रेम कुमार	80.	श्री सुदामा प्रसाद राजक
17.	श्री प्रदीप गुप्ता	39.	श्रीमती संजीता गुप्ता	81.	श्री बी. विवेकानन्द रेड्डी
18.	श्री जयदीप सिंह	40.	श्री प्रणीता पाल	82.	श्री दिलराज प्रभाकर
		41.	श्री सोमा दास		
		42.	श्री ए. एच. कपासी		

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 500) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2008-09 में वितरित कृषि यंत्रों की विद्यमान खण्डवार जानकारी जिला कोरबा

(राशि रुपये में)

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	वर्ष 2008-09																							
		वि.ख. कोरबा				वि.ख. करतला				वि.ख. कटपौरा				वि.ख. पाली				वि.ख. पौड़ी उपरोड़ा				बोग			
		यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	सेटावेटर	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1		90276	40600	1		93156	40000	2		183432	80000
2	पावर रिपर	1		76600	38300	4		404536	202268	0		0	0	3		254334	127167	0		0	0	8		735470	367735
3	पावर टिलर	0		0	0	1		133160	90000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1		133160	90000
4	ट्रैक्टर	0		0	0	1		385281	30000	1		457607	45000	9		3877095	375000	2		840796	75000	13		5560719	525000
5	कस्टमिटर	1	2	15078	7539	1	6	13544	6772	1	1	13545	6772.5	10	14	141223	7061.5	3	4	44876	22438	16	27	228266	114133
6	लेवलर	1		10080	5040	1		10920	5460	1		10920	5460	10		109200	54600	3		36120	18060	16		177240	88620
7	मोल्ड बोल्ड प्लाऊ	0		0	0	1		13628	6814	1		13629	6814.5	7		100195	50097.5	1		16034	8017	10		143486	71743
8	सीडड्रिल	0		0	0	1		25938	12969	1		25987	12993.5	7		189601	94800.5	0		0	0	9		240926	120463
9	केजकील	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1		6572	3286	1		6572	3286
10	बंडफार्मर	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1		9540	4770	0		0	0	1		9540	4770
	योग	3	2	181758	90879	10	6	987007	354283	5	1	521688	27040.5	48	14	4770864	9,6746.5	11	4	1037554	166801	77	27	7418871	1465750

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2009-10 में वितरित कृषि यंत्रों की विकास खण्डवार जानकारी जिला कोरवा

(राशि रुपये में)

क्र.	कृषि यंत्र का नाम	वर्ष 2009-10 (31.12.09 तक)																							
		वि.ख. कोरवा				वि.ख. करतला				वि.ख. कटघोरा				वि.ख. पाली				योग							
		यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि	यंत्र संख्या	कृषक संख्या	वितरित यंत्रों की कुल कीमत	कुल अनुदान राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	पावर रिपर	3		278868	139434	7		658870	329435	0		0	0	6		557736	278868	16						1495474	747737
2	पावर टिलर	2		283460	180000	1		139460	90000	0		0	0	0		0	0	3						422920	270000
3	ट्रैक्टर	8		3692937	350000	4		1857240	180000	5		2207100	225000	17		7544649	765000	34						15301926	1530000
4	काल्टीवेटर	1	12	16254	8127	0	12	0	0	2	7	32508	16254	12	31	190866	95433	15	64					239628	119814
5	लेवसर	1		10080	5040	0		0	0	2		25200	12600	12		123480	61740	15						158760	79380
6	मोल्ड बोल्ड प्लग	1		16034	8017	0		0	0	2		32068	16034	10		163364	81682	13						211466	105733
7	उन्नत हंसिया	0		0	0	0		0	0	2		200	100	8		800	400	10						1000	500
	योग	16	12	4297633	700618	12	12	2655570	599435	13	7	2297076	269988	65	31	8580895	1283123	106	64					17831174	2853164

नोट :- विकास खण्ड पोढ़ी उपरोढ़ा में इस अवधि में कृषि यंत्र वितरण की जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट "सात "

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 231) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ "

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित कन्या आश्रम एवं बालक छात्रावास

क्र. (1)	आश्रम का नाम (2)	विकासखंड (3)
1.	अनु. जनजाति कन्या आश्रम नागलसर	जगदलपुर
2.	अनु. जनजाति कन्या आश्रम चिंगपाल	दरभा
3.	अनु. जनजाति कन्या आश्रम कोलेंग	दरभा
क्र. (1)	छात्रावास का नाम (2)	विकासखंड (3)
1.	पो. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर
2.	पो. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास धरमपुरा	जगदलपुर
3.	कर्मचारी बालक छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर
4.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर
5.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास नगरनार	जगदलपुर
6.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास आडाबाल	जगदलपुर
7.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास नानगुर	जगदलपुर
8.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास नेगानार	दरभा
9.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास दरभा	दरभा
10.	प्री. मै. अनु. जा. बालक छात्रावास जगदलपुर	जगदलपुर

प्रपत्र "ब"

आश्रम छात्रावासों में दी जाने वाली सुविधाएं

- आश्रम एवं प्री. मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को रु. 450 प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति एवं निःशुल्क आवास व्यवस्था अंतर्गत फलंग, गद्दा, चादर, कंबल, खाना बनाने एवं खाने के बर्तन, बिजली/पानी की सुविधा प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त उपलब्धता अनुसार क्रीडा सामग्री एवं पत्र पत्रिकाएं भी प्रदान की जाती है.
- प्री. मैट्रिक छात्रावासों के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के स्तर के अनुसार पोस्ट मैट्रिक दर पर छात्रवृत्ति के साथ-साथ रु. 200 प्रतिमाह की दर से भोजन सहाय योजना की राशि एवं आगमन भत्ता योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष में रु. 800 द्वितीय वर्ष में रु. 250 एवं तृतीय वर्ष में रु. 200 की वार्षिक सहायता राशि दी जाती है. आगमन भत्ता का लाभ लेने वाले पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को गद्दा, कंबल, चादर एवं थाली गिलास की पात्रता नहीं होती है.
- उपलब्ध वित्तीय प्रावधान अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा एवं विशेष शिक्षण केन्द्र योजना के तहत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी इत्यादि कठिन विषयों के लिए कोचिंग कक्षा की भी सुविधा प्रदान की जाती है.
- ऐसे छात्रावास/आश्रम जहां मुख्यालय स्थल पर शासकीय चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध न हो उनके विद्यार्थियों को "स्वस्थ तन स्वस्थ मन" योजना अंतर्गत प्रायवेट चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.

परिशिष्ट "आठ "

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1144) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ "

विधान सभा क्षेत्र खल्लाठी में दिनांक 01-01-2009 की स्थिति में भिन्न-भिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं की अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता बर्गवार मासिक विद्युत मांग की जानकारी

क्र. (1)	उपभोक्ता वर्ग (2)	अनुबंधित मांग (किलो वॉट में) (3)
1.	एकलवर्ती	1165
2.	घरेलू प्रकारा एवं पंखे	4756
3.	गैर घरेलू	1012
4.	औद्योगिक	4548
5.	कृषि	8516
6.	सड़क बत्ती	74
7.	जल प्रदाय	159
योग		20230

प्रपत्र "ब"

विधान सभा क्षेत्र खल्लाही में वर्ष 2009 में माहवार कुल विद्युत आपूर्ति/खपत की जानकारी

क्र. (1)	माह (2)	विद्युत आपूर्ति (खपत यूनिट में) (3)
1.	जनवरी 2009	58,95,714
2.	फरवरी 2009	69,57,323
3.	मार्च 2009	76,02,771
4.	अप्रैल 2009	78,24,342
5.	मई 2009	53,50,284
6.	जून 2009	48,67,223
7.	जुलाई 2009	51,11,808
8.	अगस्त 2009	72,86,786
9.	सितम्बर 2009	78,34,861
10.	अक्टूबर 2009	61,06,025
11.	नवम्बर 2009	40,19,548
12.	दिसम्बर 2009	45,75,388
योग		7,34,32,073

परिशिष्ट "नौ"

[तारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 541) के भाग (ग) की जानकारी]

राज्य में 30-11-2009 की स्थिति में औद्योगिक संस्थानों के नाम पर 50 लाख से अधिक विद्युत बिल के बकायेदारों का विवरण
(राशि रुपयों में)

क्र.	बकायेदार उपभोक्ता का नाम	स्थान	बकाया राशि	बसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. स्टेण्डर्ड कोम लिमिटेड	रायगढ़	419021892	दि. 16-09-05 को स्थायी विच्छेदित, बसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
2.	मे. बालको स्मेल्टर प्लांट	बालको, कोरवा	177187938	कनेक्शन संयोजित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्र. 1232/92 दायर है. प्रकरण लंबित है.
3.	मे. राजेन्द्र स्टील	सिलहरा, रायपुर	137332250	दि. 16-03-98 को विच्छेदित उ. प्र. एवं उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका क्र. 44/98 दायर है प्रकरण लंबित है.
4.	मे. सी. सी. आई. अकलतरा	अकलतरा	131117463	दि. 09-12-96 को स्थायी विच्छेदित, बसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
5.	मे. अन्नपूर्णा मेलेबल प्रा. लिमि.	उरला, रायपुर	61835690	दि. 03-12-08 को विच्छेदित है. एआईएफआर, दिल्ली में याचिका क्र. 129/09 के तहत प्रकरण दर्ज है. अंतिम निर्णय अप्राप्त है.
6.	मे. गौरी इस्पात	दुर्ग	31024164	दि. 02-01-08 को विच्छेदित इटूज रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है.
7.	मे. सी. सी. आई. मांछर	रायपुर	22660813	दि. 06-06-06 को स्थायी विच्छेदित, बसूली हेतु सी फार्म जारी किया जा रहा चुका है. प्रकरण बीआईएफआर, दिल्ली में याचिका क्र. 501/96 के तहत दर्ज है.
8.	मे. निफिता कास्टिंग	उरला, रायपुर	17750423	दि. 11-01-97 को स्थायी विच्छेदित, बसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
9.	मे. मनमीत इस्पात भिलाई	भिलाई	16963662	दि. 27-09-05 को कनेक्शन विच्छेदित, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 2182/09 दायर है, प्रकरण लंबित है.
10.	मे. गणेश फेरो एलायज	रायगढ़	16552205	दि. 18-09-98 को स्थायी विच्छेदित, बसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
11.	मे. स्टेण्डर्ड इस्पात	रायपुर	15252040	दि. 27-02-99 को स्थायी विच्छेदित, बसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	मे. कनकई स्टील भिलाई	भिलाई	12404022	दि. 04-09-06 को स्थायी विच्छेदित, प्रकरण जिला एवं सत्र सह विशेष न्यायाधीश, दुर्ग में लंबित है.
13.	मे. बिलासपुर कास्टिंग	सिरगिट्टी, बिलासपुर	12076886	दि. 28-12-95 को स्थायी विच्छेदित, वसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
14.	मे. सूर्या एलॉय इण्डस्ट्री	सिरगिट्टी, बिलासपुर	9387197	दि. 11-06-04 को स्थायी विच्छेदित, वसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
15.	मे. एलाईड स्टील	रायपुर	8531680	दि. 09-07-92 को स्थायी विच्छेदित, वसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 85/17 दायर है, प्रकरण लंबित है.
16.	मे. राग स्टील	टेडेसरा, राजनांदगांव	8048734	दि. 06-06-2005 को स्थायी विच्छेदित, वसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
17.	मे. बिलासपुर स्पीनिंग मिल्स	लालखदान, बिलासपुर	6992895	दि. 18-03-90 को स्थायी विच्छेदित, वसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है.
18.	मे. वरुण स्टील इण्डस्ट्रीज	रायपुर	6909657	कनेक्शन संयोजित, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 6602/08 दायर है. प्रकरण लंबित है.
19.	मे. ईनाबा स्टील	अला, रायपुर	5569625	दि. 11-06-04 को स्थायी विच्छेदित, वसूली हेतु सी. फार्म जारी किया जा चुका है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 245/08 दायर है प्रकरण लंबित है.
योग			1116619236	

परिशिष्ट "दस "

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1471) के भाग (क) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले के अन्तर्गत एकल बत्ती के विद्यमान कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों की वितरण केन्द्रवार जानकारी

क्र.	वितरण केन्द्र का नाम	विद्यमान एकल बत्ती कनेक्शनों की संख्या	लंबित एकल बत्ती आवेदनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चांपा	864	38
2.	सिवनी	2794	-
3.	बम्हनीडीह	5423	385
4.	नैला	2708	166
5.	जांजगीर	2134	-
6.	नवागढ़	5972	-
7.	बलीदा	4274	238
8.	खिमौरा	3520	17
9.	सक्ती (शहर)	487	-
10.	सक्ती (ग्रामीण)	5120	145
11.	बाराइवार	4856	-
12.	जेजैपुर	10101	-
13.	मालखीदा	6440	-
14.	छपोरा	2366	29
15.	डभरा	7665	51
16.	कोटमी	4028	-
17.	चन्द्रपुर	3457	-
18.	अकलतरा	7008	24
19.	पामगढ़	6690	-
20.	शिबरीनारायण	4208	202
21.	रसौटा	3182	75
22.	नरियरा	5192	-
योग		98489	1370

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1343) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(लघु सिंचाई नलकूप योजनांतर्गत वर्षवार खनित नलकूप एवं पंप स्थापना) जानकारी

क्र.	विकासखंड	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		योग	
		नलकूप खनन	पंप स्थापना	नलकूप खनन	पंप स्थापना	नलकूप खनन	पंप स्थापना	नलकूप खनन	पंप स्थापना	नलकूप खनन	पंप स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जांजगीर	44	30	55	53	28	26	27	26	154	135
2	बम्हनीडीह	26	21	44	40	18	18	10	9	98	88
3	जैजेपुर	36	36	152	149	42	42	35	34	265	261
4	पामगढ़	16	16	11	10	19	17	8	8	54	51
5	अकलतरा	63	57	37	36	36	36	37	37	173	166
6	बलीदा	25	25	29	28	16	16	13	10	83	79
7	सक्ती	54	44	70	61	25	19	25	22	174	146
8	डभरा	16	14	35	35	24	24	56	54	131	127
9	मालखरीदा	29	28	61	61	35	35	35	35	160	159
	योग	309	271	494	473	243	233	246	235	1292	1212

प्रपत्र "ब"

(राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्षवार खनित शैलो ट्यूबवेल एवं पंप स्थापना) जानकारी

क्र.	विकासखंड	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		योग	
		शैलो ट्यूबवेल खनन	पंप स्थापना	शैलो ट्यूबवेल खनन	पंप स्थापना	शैलो ट्यूबवेल खनन	पंप स्थापना	शैलो ट्यूबवेल खनन	पंप स्थापना	शैलो ट्यूबवेल खनन	पंप स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जांजगीर	0	0	0	0	2	2	4	4	6	6
2	बम्हनीडीह	0	0	0	0	4	4	7	7	11	11
3	जैजेपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पामगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अकलतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बलीदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सक्ती	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
8	डभरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मालखरीदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	11	11	11	11	22	22

प्रपत्र "स"

(सधु शिवाई नलकूप योजनाद्वारे वरिष्ठार खणित सफल एवं असफल नलकूप, नलकूप खनन एवं पंप स्थापना पर अनुदान भुगतान) जावकारी

क्र.	विकासखंड	वर्ष 2006-07										वर्ष 2007-08							
		नलकूप खनन		स्वीकृत अनुदान राशि								नलकूप खनन		स्वीकृत अनुदान राशि					
		सफल	असफल	खनन अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)	सफल	असफल	खनन अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)
				सफल		असफल		संख्या	राशि (रु. में)				सफल		असफल		संख्या	राशि (रु. में)	
संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)			संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	जाजगीर	30	14	30	240000	14	85800	30	300000	426800	53	2	53	530000	2	12400	53	795000	1317400
2	बम्हनीडीह	21	5	21	168000	5	31000	21	210000	409000	40	4	40	400000	4	24800	40	600000	1024800
3	जैजेपुर	36	0	36	288000	0	0	36	360000	648000	149	3	149	1490000	3	18600	149	2235000	3743600
4	पानवड	15	0	15	120000	0	0	15	150000	280000	10	1	10	100000	1	6200	10	150000	256200
5	अकलतारा	37	6	37	456000	6	37100	37	570000	1063200	36	1	36	360000	1	6700	36	540000	906200
6	बलीदा	25	0	25	200000	0	0	25	250000	450000	28	1	28	280000	1	6200	28	420000	706200
7	सकरी	44	10	44	352000	10	42000	44	440000	850000	61	9	61	610000	9	55800	61	915000	1580800
8	डनरा	14	2	14	112000	2	12400	14	140000	264400	35	0	35	350000	0	0	35	525000	879000
9	मालखरीदा	28	1	28	224000	1	6200	28	280000	510200	61	0	61	610000	0	0	61	915000	1525000
	योग	271	38	271	2168000	38	235600	271	3790000	5135600	473	21	473	4730000	21	136200	473	7895000	11952400

क्र.	विकासखंड	वर्ष 2008-09										वर्ष 2009-10							
		नलकूप खनन		स्वीकृत अनुदान राशि								नलकूप खनन		स्वीकृत अनुदान राशि					
		सफल	असफल	खनन अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)	सफल	असफल	खनन अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)
				सफल		असफल		संख्या	राशि (रु. में)				सफल		असफल		संख्या	राशि (रु. में)	
संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)			संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)				
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	जाजगीर	26	7	26	260000	7	20000	26	390000	470000	26	1	21	210000	1	10000	21	315000	530000
2	बम्हनीडीह	18	0	18	180000	0	0	18	270000	450000	9	1	5	50000	1	10000	5	75000	130000
3	जैजेपुर	42	0	42	420000	0	0	42	430000	1050000	34	1	27	270000	1	10000	27	405000	645000
4	पानवड	17	2	17	170000	2	20000	17	255000	445000	8	0	8	80000	0	0	8	120000	200000
5	अकलतारा	36	0	36	360000	0	0	36	560000	900000	37	0	25	250000	0	0	25	375000	625000
6	बलीदा	16	0	16	160000	0	0	16	240000	400000	10	3	4	40000	3	30000	4	60000	130000
7	सकरी	19	6	19	190000	6	60000	19	285000	535000	22	3	12	120000	3	30000	12	180000	350000
8	डनरा	24	0	24	240000	0	0	24	360000	600000	54	2	33	330000	2	20000	33	495000	845000
9	मालखरीदा	35	0	35	350000	0	0	35	540000	890000	35	0	20	200000	0	0	20	300000	300000
	योग	233	18	233	2330000	10	100000	233	3510000	5940000	235	11	155	1550000	11	110000	155	2315000	3985000

क्र.	विकासखंड	महावीर									
		नलकूप खनन		स्वीकृत अनुदान राशि							
		सफल	असफल	खनन अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)	
				सफल		असफल		संख्या	राशि (रु. में)		
संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)						
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	जाजगीर	135	19	130	1340000	19	129200	130	1800000	3169200	
2	बम्हनीडीह	88	10	84	798000	10	65800	84	1152000	2018800	
3	जैजेपुर	261	4	254	2468000	4	28500	254	3630000	6126400	
4	पानवड	51	5	51	478000	5	26200	51	685000	1189200	
5	अकलतारा	166	7	154	1426000	7	43600	154	2025000	3494400	
6	बलीदा	79	4	73	680000	4	36200	73	970000	1686200	
7	सकरी	146	28	135	1272000	28	207800	136	1820000	3299800	
8	डनरा	127	4	105	1032000	4	32400	106	1520000	2584400	
9	मालखरीदा	159	1	144	1384000	1	6200	144	2035000	3425200	
	योग	1212	80	1132	10778000	80	575800	1132	15640000	26992800	

प्रपत्र "२"

(राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्षवार खनिज शीतो द्रव्यवैल एवं खनिज तथा पंप स्थापना पर अनुदान भुगतान)

क्र.	विकासखंड	वर्ष 2008-09									वर्ष 2009-10								
		शीतो द्रव्यवैल खनिज		स्वीकृत अनुदान राशि						शीतो द्रव्यवैल खनिज		स्वीकृत अनुदान राशि							
		सफल	असफल	खनिज अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)	सफल	असफल	खनिज अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		योग अनुदान राशि (रु. में)
				सफल		असफल		अनुदान					सफल		असफल		अनुदान		
संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	जांजगीर	2	0	2	10000	0	0	2	30000	40000	4	0	4	20000	0	0	4	60000	80000
2	बम्हनीसीह	4	0	4	20000	0	0	4	38090	58090	7	0	4	20000	0	0	4	55318	75318
3	जैजेपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	घामगड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अकलतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बस्तीदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	राकती	5	0	5	25000	0	0	5	75000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	कनरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मालखरीदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	11	0	11	55000	0	0	11	143090	198090	11	0	8	40000	0	0	8	115318	155318

क्र.	विकासखंड	महापौर								
		शीतो द्रव्यवैल खनिज		स्वीकृत अनुदान राशि						योग अनुदान राशि (रु. में)
		सफल	असफल	खनिज अनुदान				पंप स्थापना पर अनुदान		
				सफल		असफल		अनुदान		
संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	जांजगीर	6	0	6	30000	0	0	6	90000	120000
2	बम्हनीसीह	11	0	8	40000	0	0	8	93408	133408
3	जैजेपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	घामगड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अकलतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बस्तीदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	राकती	5	0	5	25000	0	0	5	75000	100000
8	कनरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मालखरीदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	22	0	19	95000	0	0	19	258408	353408

टीप :- वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में योजना लागू नहीं थी।

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 579) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिले में स्थापित स्पंज आयरन एवं ब्लास्ट फर्नेस के उद्योगों से संबंधित जानकारी

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता	स्पंज आयरन उत्पादन क्षमता	ब्लास्ट फर्नेस उत्पादन क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स बिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. पतरापाली, रायगढ़	750000 मे. टन	1750000 मे. टन
2.	मेसर्स सिंपल इन्टरप्राइजेस प्रा. लि. तराईमाल, तह. तमनार	222000 मे. टन	
3.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर लि. तराईमाल, तह. तमनार	198000 मे. टन	
4.	मेसर्स शीलिनो स्टील प्रा. लि. तराईमाल, तह. तमनार	45000 मे. टन	
5.	मेसर्स अंजनी स्टील प्रा. लि. उजलपुर तह. तमनार	108000 मे. टन	
6.	मेसर्स शिवशक्ति स्टील प्रा. लि. चक्रधरपुर तह. रायगढ़	97500 मे. टन	
7.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लि. कोटमार, तह. रायगढ़	300000 मे. टन	
8.	मेसर्स सालासर स्पंज एण्ड पावर लि. गैरवानी, तह. रायगढ़	60000 मे. टन	
9.	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पावर लि. पूंजीपथरा, तह. तमनार	66000 मे. टन	
10.	मेसर्स एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि. जामगांव, तह. रायगढ़	180000 मे. टन	
11.	मेसर्स बी. एस. स्पंज प्रा. लि., तराईमाल, तह. तमनार	30000 मे. टन	
12.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. सराईपाली, तह. तमनार	60000 मे. टन	
13.	मेसर्स मां शाकम्बरी स्टील लि. सम्बलपुरी तह. रायगढ़	60000 मे. टन	
14.	मेसर्स श्याम इस्पात (इण्डिया) प्रा. लि. तराईमाल तह. तमनार	60000 मे. टन	
15.	मेसर्स अम्बिका इस्पात प्रा. लि. तराईमाल	33000 मे. टन	
16.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्रा. लि. देलाही, तह. तमनार	60000 मे. टन	
17.	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्रा. लि. नटवरपुर तह. रायगढ़	60000 मे. टन	
18.	मेसर्स मां काली एलाय उद्योग प्रा. लि. पाली, तह. रायगढ़	60000 मे. टन	
19.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि नहरपाली, तह. खरसिया	480000 मे. टन	
20.	मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. बडेगुमड़ा तह. परपोड़ा	60000 मे. टन	
21.	मेसर्स मेक्को स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. सराईपाली तह. तमनार	30000 मे. टन	
22.	मेसर्स रायगढ़ आयरन इण्ड. लि. पूंजीपथरा, तह. तमनार	12000 मे. टन	
23.	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पावर लि. चिराईपानी, तह. रायगढ़	105000 मे. टन	
	महायोग	3136500 मे. टन	1750000 मे. टन

प्रपत्र "ब"

जिला रायगढ़ में स्पंज आवरण संयंत्र के उद्योगों को आवंटित लौह अयस्क खनिज रियायतों की जानकारी

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता	खनिज रियायत का प्रकार	औद्योगिक इकाई को राज्य में स्वीकृत/अनुशंसित खनिज रियायत क्षेत्र का विवरण	अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड फतरापाली, रायगढ़.	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	1. जिला दंतेवाड़ा, बैलबडीला फॉरेस्ट रेंज रकबा 1162.00 हेक्टर	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22-12-2009 को लिखा गया है.
2.	मे. सिंधल इन्टरप्राइजेस प्रा. लि. तराईमाल, तह. तमनार.	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	1. जिला दंतेवाड़ा, ग्राम तारलगुड़ा रकबा 510 हेक्टर	1. भारत सरकार से दिनांक 26-8-2008 को पूर्वानुमोदन प्राप्त. समधा निर्णय के उपरांत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है.
		पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	2. जिला राजनांदगांव, छुईखदान रेंज रकबा 1395.615 हे.	2. पीएल प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 26-9-2008 को भेजा गया है.
3.	मे. सेलेनो स्टील प्रा. लि. तराईमाल, तह. तमनार.	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	1. जिला कांकेर, ग्राम रसूली रकबा 25.44 हेक्टर	1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति हेतु दिनांक 18-05-2006 को लेख किया गया है.
		पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	2. जिला कांकेर, ग्राम जलहूर रकबा 137.850 हेक्टर	2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति हेतु को लेख किया गया है.
4.	मे. अंजनी स्टील प्रा. लि. तराईमाल, तह. तमनार.	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	1. जिला राजनांदगांव, छुईखदान रेंज रकबा 253.00 हेक्टर	1. भारत सरकार, खान मंत्रालय को पीएल पूर्वानुमोदन प्रस्ताव दिनांक 26-09-2008 को भेजा गया है.
		पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	2. जिला राजनांदगांव, छुईखदान रेंज रकबा 330.00 हेक्टर	2. भारत सरकार, खान मंत्रालय को पीएल पूर्वानुमोदन प्रस्ताव दिनांक 26-09-2008 को भेजा गया है.
		पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	3. जिला राजनांदगांव, छुईखदान रेंज रकबा 346.225 हेक्टर	3. भारत सरकार, खान मंत्रालय को पीएल पूर्वानुमोदन प्रस्ताव दिनांक 26-09-2008 को भेजा गया है.
5.	मे. शिवशक्ति स्टील प्रा. लि. उजलपुर, तह. तमनार.	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	जिला कांकेर, ग्राम दुर्गाकोन्दल रकबा 69.87 हेक्टर	भारत सरकार, खान मंत्रालय से प्राप्त पूर्वानुमोदन के परिप्रेक्ष्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत लेख किया गया है.
6.	मे. इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, कोटमार तहसील रायगढ़.	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति	जिला कांकेर, ग्राम मेटाबोदली रकबा 287.00 हेक्टर	1. वन विभाग की अनुमति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09-02-2005 को लिखा गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		छनिपट्टा	2. जिला कांकेर, ग्राम हाहालदी रकबा 313.00 हेक्टर	2. वन विभाग की अनुमति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25-07-2008 लिखा गया है.
7.	मे. सालासार स्पॉन्ज एंड पावर लि., गैरवानी तहसील रायगढ़.	पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति	जिला दुर्ग, ग्राम कुमुडकट्टा रकबा 39.39 हेक्टर	वन विभाग की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 6-1-2010 को लेख किया गया है.
8.	मेसर्स एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि., जामगांव तह. रायगढ़.	पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति	1. जिला कांकेर, दुर्गकौन्दल रेंज रकबा 150 हेक्टर	1. वन विभाग की अनुमति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11-01-2010 को लेख किया गया है.
		पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति	2. जिला राजनांदगांव, वनमण्डल खैरागढ़ रेंज छुईखदान रकबा 735 हे.	2. भारत सरकार, खान मंत्रालय को पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 1-10-2009 को प्रेषित. आवेदक कंपनी द्वारा क्षेत्र को सौंपकर करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है.
9.	मे. रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्रा. लि. देलारी, तह. तमनार.	पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति	जिला राजनांदगांव, वनमण्डल खैरागढ़ रेंज छुईखदान रकबा 400.475 हे.	भारत सरकार, खान मंत्रालय को पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 26-11-2009 को खान मंत्रालय को प्रेषित.
10.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड नहरपाली, तह. खरसिया.	छनिपट्टा	1. जिला कांकेर, ग्राम हाहालदी रकबा 78.09 हेक्टर	1. वन विभाग से अनुमति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16-5-2006 को लेख किया गया.
		पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति	2. जिला दंतेवाड़ा, बेलाडीला रिजर्व फॉरेस्ट रकबा 811.00 हे.	2. भारत सरकार, खान मंत्रालय को पूर्वानुमोदन प्रस्ताव दिनांक 22-06-2009 को भेजा गया.
		पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति	3. जिला राजनांदगांव, छुईखदान रेंज रकबा 348.750 हेक्टर	3. भारत सरकार, खान मंत्रालय को दिनांक 26-6-2008 को पूर्वानुमोदन भेजा गया.